

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 1/2019

दायर दिनांक: 21.01.2019

उनवान

1. शिमलाबाई आयु 40 वर्ष पत्नी रामपाल जाति मेघवाल निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान

प्रार्थीया

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज०।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :-

प्रार्थी:- विद्वान अभिभाषक श्री आर० पी० गोयल।

निर्णय

दिनांक 04.02.2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है, कि आराजी खसरा नम्बर. 618 रकबा 1.2100 हेक्टर माल काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह भू- अभिलेख निरीक्षक खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में वाके है जो मुताबिक जमाबन्दी उपरोक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है। प्रार्थनापत्र के मद नम्बर-1 में वर्णित आराजी के काश्त में मेडबन्दी हकबन्दी इत्यादि को लेकर पडौसी काश्त करने में आये दिन विवाद बना रहता है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी आराजी की समुचित काश्त नहीं कर पता तथा हकबन्दी को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं प्रार्थी को मानसिक अशान्ति बनी रहती है। इन हालात में प्रार्थी के लिए अपने खाते की उपर वर्णित आराजी का सीमाज्ञान हकबन्दी मेडबन्दी मुड्डी गडवाना आवश्यक हो गया है। ताकि पडौसी काश्तकारान से हमेशा का विवाद समाप्त हो जावे। प्रार्थीया ने इस बाबत अप्रार्थी तहसीलदार साहब अटरू में भी निवेदन किया था लेकिन उन्होंने पत्थरगढी हकबन्दी से मना कर दिया केवल साधारण सीमाज्ञान की बात कही इसी कारण दिनांक 8-6-2018 को कार्यवाही पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी माल काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह भू-

अभिलेख निरीक्षक खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारों राजस्थान मे वाके है तथा जमीन को लेकर विवाद भी माल काचरा मे उत्पन्न हुआ। लिहाजा प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमान अधिनस्थ अधिकारी कर्मचारियों की टीम बनाकर प्रार्थनापत्र के मद नम्बर-1 मे वर्णित आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी, हदबन्दी , सीमाज्ञान करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान टीम बनाकर पत्थरगढी करवाने की कृपा करें। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी ग्राम काचरा खाता संख्या 230 खसरा नम्बर. 618 रकबा 1.2100 है0 खातेदार आयु 55 वर्ष पुत्र कस्तुरचन्द जाति अग्रवाल महाजन कवाई के खाते दर्ज है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है, कि विवादित आराजी ग्राम काचरा खाता संख्या 230 खसरा नम्बर. 618 रकबा 1.2100 है0 भूमि का टीम बनाकर प्रार्थी की उपस्थिति में विद्यमान वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जावे। पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट पेश की जावे। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थीगण द्वारा वहन किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारों